

हरियाणा सरकार
विकास तथा पंचायत विभाग
अधिसूचना
दिनांक प्रथम अप्रैल, 2013

संख्या का०आ० 31/ह०आ० 11/1994/घा० 7 तथा 8/2013.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 7 की उप धारा (1) तथा (3) तथा धारा 8 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत छायासा, खण्ड हथीन, जिला पलवल के सभा क्षेत्र से गांव मटेपुर के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं; अर्थात् :-

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम.	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
हथीन	पलवल	मटेपुर (हदबस्त संख्या 211)	मटेपुर

तथापि, गांव मटेपुर के लिये नई ग्राम पंचायत का सृजन इस शर्त के अन्वये किया जाता है कि यह पंचायत पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

रामनिवास,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 1st April, 2013

No. S.O. 31/H.A. 11/1994/Ss. 7 & 8/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 7 and sub-section (1) of section 8 of Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of villages Burama from the sabha area of Gram Panchayat Chaysa, block Hathin, district Palwal and declares the area specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Mathepur as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as mentioned in columns 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Hathin	Palwal	Mathepur (Hadbast No. 211)	Mathepur

However, the creation of new Gram Panchayat for the village Mathepur shall be subject to the conditions that these Panchayats will be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

RAMNIWAS,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development and Panchayats Department.